राज्य के शासकीय राजपत्र
में तत्काल प्रकाशनार्थ

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली – 110001

सं. 576/एक्जिट/ईसीआई/पत्र/प्रकार्या./न्या./एसडीआर/2017/खंड-I   दिनांक : 7 नवम्बर, 2017

अधिसूचना

1. यत:, आयोग ने पहले ही हिमाचल प्रदेश और गुजरात की विधान सभाओं के साधारण निर्वाचनों की अनुसूची की घोषणा कर दी थी और घोषित अनुसूची के अनुसार, हिमाचल प्रदेश विधान सभा के साधारण निर्वाचनों के लिए अधिसूचना 16.10.2017 को जारी कर दी गई थी और गुजरात विधान सभा के साधारण निर्वाचन के लिए अधिसूचना दिनांक 14.11.2017 और 20.11.2017 को जारी करने के लिए अनुसूचित हैं; और

2. यत:, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126क के प्रावधानों के अनुसार, इस अवधि के दौरान कोई एग्जिट पोल आयोजित करना और उसका परिणाम प्रकाशित करना एवं प्रचारित करना, आयोग द्वारा यथाअधिसूचित अवधि तक के लिए प्रतिबन्धित होगा; और

3. यत:, हिमाचल प्रदेश और गुजरात की विधान सभाओं के उक्त साधारण निर्वाचनों के लिए मतगणना 18.12.2017 को होनी है;

4. अब, इसलिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क की उप धारा (1) के अधीन शाक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग, उक्त धारा की उप-धारा (2) के उपबंधों के दृष्टिगत, **09.11.2017 (गुरूवार) को पूर्वाह्न 8:00 बजे से दिनांक 14.12.2017(गुरूवार) को अपराह्न 5.30 बजे** तक के बीच की अवधि को ऐसी अवधि के रूप में अधिसूचित करता है जिसके दौरान **हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधान सभाओं के वर्तमान साधारण निर्वाचनों** में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का संचालन करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रसार करने पर प्रतिबंध होगा।

5. इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126(1)(ख) के अधीन, उपर्युक्त साधारण निर्वाचनों के संबंध में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घंटों के दौरान किसी भी इलेक्ट्रानिक मीडिया में किसी भी ओपीनियन पोल या अन्य किसी मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित, किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध होगा।

आदेश से,

(एन.टी.भूटिया)
सचिव